

प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 00567/2023-2024

दिनांक 16/06/2023



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र
(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण

संख्या: R/KNJ/03086/2023-2024

पत्रावली संख्या: K-47810

दिनांक: 2013-2014

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि बाबू सिंह कृष्णा देवी समिति, शिरडी धाम फर्रुखाबाद रोड, छिबरामऊ, कन्नौज 209721 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 207/2013-14 दिनांक-07/06/2013 को दिनांक-07/06/2023 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1100 रुपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।



Digitally Signed By
(AKHILESH CHANDRA MAURYA)
154C24284C6D8CF5A6D0F0A1F55F1A2114636DE4

Date: 16/06/2023 1:51:44 PM, Location: Kanpur.

जारी करने का दिनांक-16/06/2023

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

-:- संशोधित स्मृति पत्र -:-

1. संस्था का नाम : बाबू सिंह कृष्णा देवी समिति
2. संस्था का पता : A/1 डाक्टर्स कालोनी, मेडिकल कालेज कैम्पस, बेबर रोड, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद (उ० प्र०) 209601
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था के उद्देश्य : शासन, प्रशासन की सहमति से निम्नानुसार निम्न उद्देश्य होंगे।

- 1- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के छात्राओं की उच्च शिक्षा हेतु महाविद्यालय खोलना।
 - 2- छात्राओं हेतु रोजगार पूरक विषयों व संकायों की सम्बद्धता महाविद्यालय में लेना।
 - 3- संस्था द्वारा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 की धारा 21 के अन्तर्गत सभी महत्वपूर्ण कार्यों को करना।
 - 4- महाविद्यालय में छात्राओं की सुरक्षा हेतु आवश्यक सुविधा प्रदान करना।
 - 5- समिति द्वारा शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय, शोध केंद्र, मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, डेंटल कालेज, आयुर्वेदिक कालेज, फार्मसी कालेज, महाविद्यालय आदि को नियमानुसार स्थापित व संचालित करना।
 - 6- समिति द्वारा हास्पिटल, नर्सिंग होम, डिस्पेन्सरी, डायग्नोस्टिक सेंटर, रिसर्च सेंटर आदि खोलना, उन्हें संचालित करना तथा उनका प्रबन्ध करना।
- चरित्रवान तथा शुभ आचरण करने वाले अध्यापकों, प्राध्यापकों तथा विशेषज्ञों को नियुक्ति करना जो शिष्यों तथा विद्यार्थियों को आधुनिक विज्ञान, औद्योगिक व्यवसाय, नववैद्यकीय कार्य, वैदिक एवं अन्य उपयोगी वृत्तियों में दृष्ट्या आधुनिकतम शिक्षण देने के योग्य हों।
- विद्यार्थियों एवं उस संस्था से सम्बन्धित समस्त व्यक्तियों के मानसिक, शारीरिक तथा नैतिक विकास की ओर स्वस्थ और समालोचनात्मक मनोभाव को विकसित करना ताकि वे अच्छे नागरिक बन सकें।
- 9- समिति की विषय वस्तु का इस प्रकार विनिर्धान, व्यापन, अन्तर्गण करना तथा उद्देश्यों को प्रभावशाली रूप से कार्यान्वित कराना।



सत्य-प्रतिनिधि

प्रधान सहायक
फर्म्स, सोसाइटीज तथा विद्यालय
कानपुर

04/04/2022

- 10- दान, उपहार, अनुदान तथा अन्य भेंटों को स्वीकार करना तथा उन्हें संस्था के प्रयोजनों के लिये व्यवहार में लाना।
- 11- इस सामाजिक अधीन संस्थापित या स्थापित की जाने वाली संस्थाओं के साधारण व देखरेख में होने वाले व्यय तथा अन्य परिचयों की पूर्ति के लिये संगत शिक्षण शुल्क व अन्य शुल्क लेना।
- 12- शिष्यों को इस प्रकार प्रशिक्षित और सलाह करना कि वे शिष्ट और सामान्य जीवन पथ अपनाने के लिये आत्मनिर्भर हो सकें और अच्छे स्वस्थ और प्रगतशील नागरिक बनें।
- 13- विद्यार्थियों तथा उस संस्था से सम्बन्धित समस्त व्यक्तियों के लिये छात्रावास स्थापित करना तथा उसे चलाना।
- 14- समिति द्वारा शिक्षण संस्थानों अदि को नियमानुसार स्थापित व संचालित करना।
- 15- केन्द्रीय एवं राज्य सरकार स्थानीय निकाय एवं विदेशी सरकार, मिशन द्वारा स्वीकृत योजना को इनमें से संचालित करना व कराना।
- 16- सेमिनार, कान्फ्रेंस, प्रदर्शनी आदि के आयोजनों के माध्यम से विद्यार्थियों को आधुनिक विज्ञान व तकनीकी शिक्षा प्रदान करना।
- 17- संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बल अवल सम्पत्ति, भूमि भवन आदि दान पट्टे पर लेना व देना, क्रय करना, विक्रय करना, किराये पर लेना व देना अदि। तथा अर्थिक सहायता प्राप्त करना।

हस्ताक्षर



सत्य-प्रतिष्ठा

प्रधान सहायक
फंड, संसाधन तथा विद्या
कानपुर

21/04/2022

5. प्रवर्धकारिणी समितियों के प्रवर्धकारियों एवं सदस्यों के नाम, पता व पद एवं व्यवसाय जिन्हें संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया है :-

क्र०सं०	नाम	पिता / भाई का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्रीमती शान्तीप्रिया	श्री चन्द्र नारायण प्रसाद	रंजन निकेतन कोर्ट स्टेशन जिला- पूर्णिया, बिहार।	अध्यक्ष	समाजसेवा
2.	श्री साकेत कुमार	श्री गौरी शंकर मिश्रा	ग०सं० 5,ए, टी धन्ना वाली मली न०-2ए वेस्टेंड, सिंदुलजाब साकेत मेट्रो स्टेशन के पास गांव-सिंदुल अजैम दक्षिण दिल्ली।	उपाध्यक्ष	समाजसेवा
3.	डॉ० जितेन्द्र सिंह	श्री बाबू सिंह	ए-1 डाक्टर्स कालोनी मेडिकल कालेज, कैम्पस, बंकर रोड, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद।	सचिव/ प्रबन्धक	चिकित्सक
4.	डा० अनीता रंजन	डा० जितेन्द्र सिंह	ए-1 डाक्टर्स कालोनी मेडिकल कालेज, कैम्पस, बंकर रोड, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद।	उपसचिव	चिकित्सक
5.	श्री अनोज कुमार यादव	श्री कामेश्वर प्रसाद मुखर्जी	रंजन निकेतन कोर्ट स्टेशन जिला- पूर्णिया, बिहार।	कोषाध्यक्ष	समाजसेवा
6.	श्री अतुल कुमार	श्री हरिनाथ सिंह	सिविल लाइन्स फतेहगढ़ जिला-फर्रुखाबाद।	सदस्य	समाजसेवा
7.	श्री विनीत कुमार	श्री अनिल कुमार भारती	रंजन निकेतन कोर्ट स्टेशन जिला- पूर्णिया बिहार।	सदस्य	समाजसेवा

6. हम निम्न इस्ताखरकर्ता घोषित करते हैं कि इस समिति एवं नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजि०अधि० सं० 21 सं० 1800 अन्तर्गत पूर्णिया जिले में गठित है।

क्र०सं०	नाम	हस्ताक्षर
1.	श्रीमती शान्तीप्रिया	
2.	श्री साकेत कुमार	
3.	डॉ० जितेन्द्र सिंह	
4.	डा० अनीता रंजन	
5.	श्री अनोज कुमार यादव	
6.	श्री अतुल कुमार	
7.	श्री विनीत कुमार	



प्रधान सहायक
फर्ना, सोसाइटीज तथा विदस
कानपुर

04/04/2022

- :: - संशोधित नियमावली - :: -

1. संस्था का नाम :- बाबू सिंह कुण्ठा देवी समिति
2. संस्था का पता :- A/1, डाक्टर्स कालोनी, मेडिकल कालेज कैम्पस, बेबर रोड, फतेहगढ़ -
फर्रुखाबाद (उ० प्र०) 209601
3. संस्था का कार्यक्षेत्र :- सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था के उद्देश्य :- स्मृति पत्र के अनुसार
5. संस्था की सदस्यता :-

अ) संरक्षक आजीवन सदस्य :- संस्था के यह संस्थापक सदस्य होंगे। संस्था का मंत्री/सचिव/प्रबंधक/प्रबन्ध निदेशक/सेक्रेटरी संरक्षक आजीवन सदस्यों में से ही होगा। संस्था की सदस्यता प्रदान करने का अधिकार संरक्षक आजीवन सदस्यों को होगा। संरक्षक आजीवन सदस्यों का निर्णय सदस्यता प्रदान करने हेतु अंतिम एवं मान्य होगा। उनके इस निर्णय की अपील किसी भी न्यायालय एवं अधिकारी के समक्ष नहीं हो सकेगी। संस्था के संक्रमण काल में सभी अधिकार संरक्षक आजीवन सदस्यों में निहित होंगे। संरक्षक आजीवन सदस्य की मृत्यु होने पर उनका/उनकी ज्येष्ठ वारिस स्वतः संरक्षक आजीवन सदस्य हो जायेगा। इस समय श्रीमती डा० अनीता रंजन एवं डा० जितेन्द्र सिंह यादव संरक्षक आजीवन सदस्य हैं।

ब) आजीवन सदस्य :- संस्था की आजीवन सदस्यता ग्रहण करने हेतु संस्था के मंत्री को रजिस्टर्ड डाक द्वारा आवेदन पत्र के साथ पांच लाख रुपये का ड्राफ्ट (संस्था के मंत्री के नाम देय हो) संलग्न कर प्रेषित करना होगा तत्पश्चात संरक्षक आजीवन सदस्यों द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकृत होने के पश्चात आजीवन सदस्यता प्राप्त होगी।

स) साधारण सदस्य :- जो सज्जन संस्था को एक लाख रु० अदा करेंगे वह साधारण सदस्य होंगे इनका कार्यकाल पांच वर्ष होगा शेष नियम आजीवन सदस्य की भांति होंगे।

6. सदस्यता की समाप्ति - मृत्यु होने पर, पागल एवं दिवालिया होने पर, न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर, लगातार बैठकों में बिना किसी उचित कारण के अनुपस्थित रहने पर, संस्था विरोधी कार्यवाही में लिप्त घोषित होने पर।

7. संस्था के अंग :- (अ) साधारण सभा
(ब) प्रबन्ध समिति

8. साधारण सभा :- (अ)

- (गठन) - सभी सदस्यों को सम्मिलित कर साधारण सभा का गठन किया
- (बैठक) - साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अवश्य होगी अवश्यकतानुसार जितनी भी बैठक बुलाई जा सकती है।
- (सूचना अवधि) - सामान्य बैठक की सूचना 10 दिन पूर्व एवं आवश्यक बैठक की सूचना 5 दिन पूर्व दी जायेगी।
- (गणपूर्ति) - कुल सदस्यों के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति में कोरम पूर्ण होगा।



Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature: Anita Rangan

Handwritten signature: शान्तीप्रिया

वरिष्ठ सहायक

संयोजक फार्मासोसोइटीज तथा चिटस
कानपुर मण्डल कानपुर

(य) वार्षिक अधिवेश - प्रतिवर्ष 30 जून को होगा परिस्थितिवश तिथि परिवर्तनीय होगी।

(र) कर्तव्य एवं अधिकार -

(1) वार्षिक बजट पास करना।

(2) प्रबन्ध समिति द्वारा प्रेषित मामलों का निस्कारण करना।

9. प्रबन्धकारिणी समिति -

(अ) गठन - प्रबन्ध समिति में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव/प्रबन्धक, उपसचिव, कोषाध्यक्ष के एक एक पद तथा 02 कार्यकारिणी सदस्य, इस प्रकार कुल 07 व्यक्ति की कार्यकारिणी होगी।

(ब) बैठक - प्रबन्ध समिति की बैठक वर्ष में दो बार अवश्य होंगी अवश्यकतानुसार कितनी भी बैठकें हो सकेंगी।

(स) गणपूर्ति - प्रबन्ध समिति के कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति में गणपूर्ति पूर्ण होगी परन्तु कोरम के अभाव में निरस्त बैठक पुनः बुलाने पर कोरम (गणपूर्ति) की बाध्यता नहीं होगी।

(द) सूचना अवधि - सामान्य बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व एवं आवश्यक बैठक की सूचना 24 घण्टे पूर्व दी जायेगी।

(य) कार्यकाल - प्रबन्ध समिति का कार्यकाल पाँच वर्ष होगा।

(र) रिक्त स्थान की पूर्ति - प्रबन्ध समिति में कोई स्थान रिक्त होने पर शेष कार्यकाल के लिये साधारण सभा द्वारा की जायेगी।

(ल) प्रबन्ध समिति के अधिकार एवं कर्तव्य -

(1) वार्षिक बजट पास करना।

(2) संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य करना।

(3) समिति को चल-अचल सम्पत्ति क्रय करने एवं विक्रय करने, लीज एवं किराये पर अन्य व्यक्तियों, समितियों एवं संस्थानों को देने, राष्ट्रीयकृत व अन्य बैंकों से ऋण व बैंक गारण्टी प्राप्त करने व समिति के वर्तमान व भविष्य में प्राप्त (Acquire) होने वाली सम्पत्ति को संयुक्त रूप से मूल विक्रय विलेख आदि को बैंक में बन्धक (Mortgage) कर सकने का अधिकार होगा।



सत्य-प्रतिलिपि

Hina

Q

परिवर्तित

संस्था के उद्देश्यों के अन्तर्गत कार्य करने तथा वित्त
कानपुर संघटन कानपुर

10. पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :-

(अ) अध्यक्ष :- इसे प्रेसीडेंट/चेयरमैन भी कह सकेंगे इसके निम्न अधिकार होंगे।

Ami
RDF

Ami

Anita Rayan

शान्तिप्रिया

Q

- (1) सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।
- (2) सामान्य मत होने पर निर्णायक मत देना।

(ब) उपाध्यक्ष :- चेयरमैन/प्रेसीडेंट/अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनका कार्यभार करना।

(स) सचिव/प्रबन्धक :- यह संस्था का सेक्रेटरी/मंत्री/प्रबन्धक एवं महानिदेशक होगा। इसके निम्न अधिकार होंगे।

- (1) संस्था के समस्त अभिलेखों का रख रखाव करना एवं उन्हें मैन्टेन करना।
- (2) संस्था की समस्त चल अचल सम्पत्ति का रख रखाव करना एवं संस्था की ओर विक्रय/ क्रय पत्र एवं प्रत्येक प्रकार की डीड लिखना।
- (3) संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त करना तथा रसीद देना।
- (4) संस्था के लिए कर्मचारी नियुक्त करना एवं निष्कासित करना।
- (5) जो कर्तव्य किसी भी पदाधिकारी के स्पष्ट नहीं है वह समस्त कर्तव्य एवं अधिकार मंत्री के होंगे।
- (6) सचिव को संस्था की ओर से समिति को चल-अचल सम्पत्ति क्रय करने एवं विक्रय करने, लीज एवं किराये पर अन्य व्यक्तियों, समितियों एवं संस्थानों को देने, राष्ट्रीयकृत व अन्य बैंकों से ऋण व बैंक गारण्टी प्राप्त करने व समिति के वर्तमान व भविष्य में प्राप्त (Acquire) होने वाली सम्पत्ति को संयुक्त रूप से मूल विक्रय विलेख आदि को बैंक में बन्धक (Mortgage) कर सकने का व बैंक के ऋण अभिलेख व पुर्नजीवन पत्र व खातों के संचालन करने का तथा संस्था की चल-अचल सम्पत्ति को ऋण अथवा बैंक गारण्टी के सापेक्ष बन्धक रखने का पूर्ण अधिकार भी निहित होगा। समिति के किसी पदाधिकारी/सदस्य द्वारा ऐसा कोई भी आचरण किया जा रहा हो, जिससे संस्था के हित प्रभावित हो रहे हों तो सचिव द्वारा उसे बिना नोटिस के तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया जायेगा। जिसका निर्णय अन्तिम होगा।



Handwritten signature/initials.

सत्य-प्रतिलिपि (7)

Handwritten signature/initials and text: "उपसचिव :- संस्था के मंत्री द्वारा सौंपे गये कार्य करना।"

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature: Anita Dey

Handwritten signature: आनन्दीप्रिया

(य) **कोषाध्यक्ष** :- कोष का रख-रखाव करना।

- 11- **संस्था के नियमों में संसोधन** :- संस्था के नियमों एवं नितियों में २/३ सदस्यों की सहमति पर मान्य होगा।
- 12- **संस्था का कोष** :- संस्था का कोष किसी मान्यता प्राप्त बैंक में खाता खोलकर, खाते का संचालन मंत्री/प्रबन्धक द्वारा होगा।
- 13- **अदालती कार्यवाही** :- चाहे संस्थावादी हो अथवा प्रतिवादी संस्था की ओर से मंत्री/प्रबन्धक द्वारा अदालती कार्यवाही की जायेगी।
- 14- **आडिट** :- संस्था का आडिट किसी सुयोग्य व्यक्ति द्वारा कराया जायेगा।
- 15- **अभिलेख** :- संस्था के निम्न अभिलेख होंगे।
 - (1) सदस्यता रजिस्टर।
 - (2) कार्यवाही रजिस्टर।
 - (3) ऐजेण्डा रजिस्टर।
 - (4) स्टॉक रजिस्टर।
 - (5) कैश बुक आदि।
- 16- **विघटन** :- संस्था के विघटन पर सम्पत्ति का निस्तारण सोसाइटी रजि० एक्ट 1860 धारा 13 व 14 के अनुसार होगा।

- 17- **समिति द्वारा संचालित संस्थाएँ** :- वर्तमान में संस्था के प्रबंधन एवं पूर्ण स्वामित्व में संचालित संस्थाएँ—
 - अ. साई मीर कॉलेज ऑफ फार्मसी, फर्रुखाबाद रोड, छिबरामऊ, कन्नौज।
 - ब. साई मीर कॉलेज ऑफ पॉलीटेक्निक, फर्रुखाबाद रोड, छिबरामऊ, कन्नौज।

दिनांक



सत्यप्रतिलिपि

हस्ताक्षर

Anita Rayan

शान्तिप्रिया

Shan

Shan

Anita
सत्य-प्रतिलिपि

Shan

Shan

वसिष्ठ सत्यप्रतिलिपि

भारत सरकार, कानपुर, सोसाइटीज तथा चिटस
कानपुर मण्डल कानपुर

